17.28 hrs.

RESOLUTION RE: FREE MOVE-MENT OF FOODGRAINS IN THE COUNTRY

श्री तन सिंह (बाड़मेर) : सभार्जात महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement and all zonal and other barriers to the free movement of foodgrains throughout the country be abolished immediately"

हमारे देश में खाद्य स्थित इतनी निराशा-जनक हो गई है कि जब तक उसका कोई क्रान्तिकारी समाधान न मिल जाये तब तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। हम इस बात को छिपाने का कितना ही यत्न करें, सरकार चाहे इस बात का कितना ही ग्राश्वासन दे कि ग्राने वाली फसल से हमारी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो जायेगा, लेकिन जब तक सरकार की गलत नीतियों के कारण जो वर्तमान स्थिति वितरण की बनी हुई है ग्रीर ग्रन्न के भावों में जो वृद्धि होती जा रही है उस को रोकने का उपाय न करें वर्तमान परिस्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं ग्रा सकता है।

श्रद्वारह वर्षों से, जब से इस देश में स्वतन्त्रता आई है, हमारी सरकार ने श्रन्न के विषय में चर्चा तो श्रवश्य की है किन्तु जितनी श्राशा की है उतनी गम्भीरता से इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने सन् 1948 में देश के नाम एक सन्देश में श्राशा व्यक्त की थी कि सन 1950 के जून तक हम श्रन्न के िषय में स्वावलम्बी हो जायेंगे। मगर हमारी सीमा रेखा प्रति वर्ष बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते हमारे कृषि श्रीर खाद्य मंत्री यह बत्लाने लगे हैं कि सन 1971 में हम स्वावलम्बी हो जायेंगे।

भ्रन्न का उत्पादन कम होने के मूल रूप में दो या तीन कारण बतलाये जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे यहां म्रुप्ति वृष्टि हो जाती है या ग्रनावृष्टि हो जाती है। हम चाहे इसके बारे में कितने ही शब्द बोलें. लेकिन ग्रति वृष्टि ग्रौर ग्रनावृष्टि की स्थिति हमारे देश में पहले भी थी. श्रव भी है श्रौर भविष्य में भी रहेगी। उस को रोकने का उपाय है वैज्ञानिक साधनों के द्वारा पानी का निकास भौर उसका ठीक प्रकार से नियोजित तकनीकी क्षमताध्यों के दारा करना ग्रीर बरसात के पानी का नियंत्रित करना । यदि यद सम्भव नहीं है तो अनावष्टि भौर श्रति वष्टि किसी भी प्रकार के भ्राश्वासन से भ्रौर उपाय से टाली नहीं जा सकती। हम चाहे उस पर कितना ही दोषारोपण करें इस से समस्या हल होने वाली नहीं है। यदि हम इस को देखों तो पता चलेगा कि ग्रब तक के ग्रटटारह वर्षों में नियोजन पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी इस दिशा में कोई महत्वपुर्ण परिवर्तन कर पाने की स्थिति नहीं ग्राई है।

5178

दूसरी बाधा जो बतलाई जाती है वह है जन संख्या की बढोतरी । इस में कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश में जन संख्या में विद्ध हई है। पर हम इस बात को भी दरगजर नहीं कर सकते कि जन संख्या में वृद्धि के साथ हम ने बहत सी कृषि योग्य भिम पर खेती करना शरू किया है। जिस म्रन्पात में जन संख्या की बद्धि हई है उस से ज्यादा श्रन्पात में हम ने खेती योग्य भूमि उत्पन्न की है स्रौर उस पर काश्त करना शुरू किया है। भ्रसली बात तो यह है कि हमारी भिम की जो श्रन्नोत्पादन की क्षमता है उस उत्पादन क्षमता में वद्धि नहीं हो रही है। यदि उस उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं की जायेगी तो श्रनन्त काल तक हमारे लिये यह समस्या बनी रहेगी। हम विदेशों से चाहे कितना ही ग्रन्न मंगायें यह स्थायी रूप से ग्रन्न की स्थिति को सुधारने में सहायक नहीं होगी । यदि सिंचाई, बीज श्रौर खाद ठीक प्रकार से दिये जायें तो उत्पादन बढ सकता है। बिना उत्पादन को बढाये श्रौर परिवार नियोजन को बढ़ाये जनव्यक्ति पर रोक लगाने का कोई तुक नहीं है क्योंकि यदि लोगों का जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति

# [श्री तन सिंह]

प्राय नहीं बढ़ेगी तो सीमित परिवार भी उतनी प्रधिक माता में शिक्षा पर श्रौर दूसरे जीवन यापन के साधनों पर श्रीधक खर्च नहीं कर सकेगा । इसलिये सब से महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम ग्रानोत्पादन में बिढ़की दिशा में प्रयत्न करें।

सब से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी सत्ता है जिस को किसी का भय नहीं है। हमारे मंत्रिमंडल को यह भय रहता है कि उसे जनता के सामने पांच वर्ष के बाद जाना पड़ेगा, उसे यह भी भय रहता है कि अगर विरोधी पक्ष मजबत हो गया तो उसे ग्रपदस्थ भी कर सकता है, लेकिन हमारे देश में योजना श्रायोग एक ऐसी सत्ता है जिसको किसी का भी भय नहीं है। वह पिछले भ्रद्वार<sub>ह</sub> वर्षों से इस देश का करोड़ों रुपया खर्च कर चुका है लेकिन उस ने स्रन्न के क्षेत्र की म्रोर कृषि के क्षेत्र की जो निपट उपेक्षा की है उस के बारे में उस के उत्तरदायित्व को निश्चित करने ग्रौर उसे सजा देने के सम्बन्ध में हमारे पास कोई प्रबल शक्ति नहीं है. बल्कि हम यह देखते हैं कि योजना श्रायोग द्वारा निर्धारित नई नीतियों पर हमारी सरकार श्राज्ञाकारी सेवक की भांति काम करती है। परिणाम यह होता है कि हमारे योजना श्रायोग के सदस्य, भले ही वह कितने पढ़े लिखे हों, उन का जो ज्ञान पिछले स्रद्वारह वर्षों में प्रकट होना चाहिए था, वह नहीं हम्रा भ्रौर हमारे इस देश में लोगों को जो राहत मिलनी चःहिये थी वह नहीं मिली। इस से यह सिद्ध होता है कि उन के पास ज्ञान भले ही हो लेकिन उन में व्यावहारिक दिष्टिकोण कुछ भी नहीं है।

इस लिये इस बात की जांच की जानी चाहिये कि श्रन्न के मामले में सब से ज्यादा जिम्मेदारी किस की थी और किस ने उस को पूरा नहीं किया । यदि हमारे उत्पादन के श्रांकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं तो इस का मतलब यह है कि हम ने उत्पादन के श्रांकड़े तैयार करने में ज्यादातर कल्पना से काम लिया है

भ्रौर योजना को कार्यान्वित करने की जो जिम्मेदारी भ्रायोजकों पर थी उसे उन्हों ने निभाया नहीं, चाहे वह केन्द्रीय सरकार के हों या राज्य सरकार के हों। यहां तक मैं तो निवेदन करूंगा कि इस देश में स्रन्नोत्पादन के दिष्टकोण से चाहे योजना स्रायोग ने कछ प्रयत्न किया हो तथापि कृषि विभाग को सहायता देने की जो प्रणाली है वह भ्रच्छी नहीं है। ग्राज तक सरकार गलत नीतियां चलाती रही हैं ; श्राज गांवों श्रीर शहरों का भेद जो बढता जा रहा है वह इतने व्यापक क्षेत्र में हो गया है कि गांव का कोई भी किसान गांव में रहना पसन्द नहीं करता । वह वहां तभी रहता है जब उस के सामने जीवन यापन का कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता । पढ लिख कर हर एक ग्रादमी की कोशिश यही रहती है कि वह किसी दफ्तर में एल ० डी ० सी ० बन जाये। ग्राज वह कृषि के श्रन्दर स्नातकोत्तर शिक्षा लेता है तो वह भी इस केपीछे लगा देखा जाता है कि कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ले बजाय इस के कि वह जा कर खेती करे। इस का कारण यह है कि जो हमारा कृषक समाज है उस के साथ ग्राज पक्षपात हो रहा है। जब इस देश में बहमखीतरक्की हो रही है तब उस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । सब से बड़ी बात यह है कि योजना स्नायोग की नीतिरों के फलस्वरूप कृषि के ऊपर जो ग्रधिक-तम सीमा निर्धारित कर दी गई है उस के कारण एक क्रषक की ग्रामदनी 300 रू० मासिक से ग्रधिक बढ़ने की सम्भावना भविष्य में कभी नहीं रहेगी। इस का स्रभिप्राय यह है . . .

सभापति महोदय : जो रेजोल्यूशन का मूल प्रश्न है उस पर भी तो ब्राप कुछ कहिये ।

श्री तन सिंह: मेरा ख्याल है कि मेरे पास 20 या 25 मिनट हैं। मैं श्रव उस पर ही श्रा रहा हूं। मैं पहले मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट की भूमिका में बतलाऊंगा कि ग्राज किसान की हालत क्या है। ग्राप उस के ऊपर ग्रधिकाधिक रुपये की सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं। उस में ग्राप उस की ग्रामदनी का रुपया उस से मोनोपोली प्रोक्योरमेंट के रूप में ले लेंगे। उस के ग्रायिक दृष्टिकोण को सामने नहीं रक्खेंगे।

सभापति महोदय: ग्राप के पन्द्रह मिनट ग्रब बाकी हैं, ग्राप बोलिये।

श्रीतन सिंह: ग्रभी हम ने जय किसान भ्रीर जय जवान का नारालगाया है। इस लिये यदि हम वास्तविक रूप में कुछ देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ग्रनिवार्य रूप में वसूली का जो नियम हम ने बनाया है वह मूल रूप से कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से उस के लिये घातक है। इस लिये कि अपब बड़ी मुश्किल से ग्रन्न के दाम बढ़े हैं। राजस्थान में जब बाजार में 66 रु० क्विन्टल बाजरा बिकता है तो हमारी सरकार, इस साल तो वह नहीं ले रही है लेकिन लेने का उस का लक्ष्य है, केवल 4.4 रु० क्विन्टल देना चाह्ती है । ग्रर्थात् बाजरा से उसे जो रुपया मिलने वाला था उस का 2/3 मात्र ही सरकार देती है। 1/3 सरकार श्रपने पास रखती है। यदि सर-कार यह समझती है कि वितरण के कारण ही यह परेशानी पैदा होती है स्पीर इसलिये जितनाभी धान है वह ग्रपने पास में लेले तो मैं निवेदन करूंगा कि एक व्यापारी ग्रगर कहीं गलती करता है तो उस के लिए हमारे पास में दंड विधान है व्यापारी यदि ऊर्चे भाव में ग्रन्न को बेचता है तो हम उसे जेल में डाल सकते हैं। यदि वह ग्रन्न का स्टाक कर के रखे ग्रौर बाजार में समान को न लाये तो हम उस को डी०ग्राई० ग्रार० में गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन सरकार भ्रगर मोनोपोली प्रोक्योरमेंट करके **ब्रनाज इकट्टा करे ब्रौर दूसरे धोलों में पहुंचाने में** ग्रसफल रहेतो सिवाय लोकसभा में उसकी म्रालोचना करने के भौर कोई उपाय नहीं है ।

ग्रौर इसलिए यदि सरकार व्यापारी की जगह ग्राना चाहती है तो उसके लिए एका-धिकार रखनायह सर्वथा किसान के साथ ग्रन्याय है ग्रीर यदि एकाधिकार रखना ही चाहती है तो व्यापारी की भांति सरकार को खले हाथों ग्राना चाहिए ग्रीर जहां कहीं उस की गलती हो उसमें जिस किसी का भी उत्तर दायित्व है ग्रन्न की सप्लाई न करने की उसको सजा देने ग्रीर उस पर जांच करने का भी पूरा ग्रह्त्यार सरकार को स्वीकार करना चाहिए । इजके ग्रलावा श्रीमन जी, यदि उत्पादन बढ़ सकता है स्रोर खेती एक धन्धे के रूप में गम्भी ग्तासे ली जासकती है तो वह तभी हो सकता है जब दूसरे धन्धों के मकाबले में कृषि में तूलनात्मक लाभ मिलने की स्थिति पैदा होगी। केवल उस समय ही हमारे यहां ग्रन्न की समस्या हल हो सकती है ग्रीर ग्रन्न के भाव उसी दुष्टिकोण से मुकर्रर होने चाहिए। सरकार यह समझती है कि श्रन्न की समस्या में केवल वितरण का मामला है ग्रौर उसी को श्रपने पास में रखना चाहती है, उसी के सिलसिले में कोई उपाय करना चाहती है। ग्रब स्थिति यह है श्रोमन्, कि कीमतों के बढ़ने का बहुत बड़ो स्रोर महत्वपूर्ण कारण हैं। यदि तुलनात्मक दुष्टिकोण से देखा जाय तो यह एक क्षेत्र में ग्रीर एक राज्य में ग्रन्न का भाव एक है जब कि दूसरे राज्य में उसी स्रन्न का भाव कहीं कहीं उससे दूगना ग्रीर ढाई गुनाभी है। एक बड़ादेश होने के कई लाभ हैं। सबसे बड़ालाभाय हहै कि किसी एक जगह ग्रकाल पड़ जाय और दूसरी जगह ग्रन्न काफी हो तो वहां से उस कमी वाले इलाके की ग्रोर ग्रनाज ग्रा सकता है । लेकिन इस देश में हमारी सरकार ने इतने छोटे छोटे देश बना दिये हैं कि एक जगह में पंजाब में पैदा किया हुग्रा ग्रन्न राजस्थान में नहीं जासकता, राजस्थान कागुजरात में नहीं जा सकता, मध्य प्रदेश में नहीं जा सकता यह कृत्रिम सीमा जो सरकार ने बनायी है इसके विषय में बहुत कुछ ग्रालोचनायें हो चुकी हैं ग्रीर यह सर्वविदित बात है कि ग्रब इस प्रकार की सीमाग्रों को रखने का कोई।

# [श्रीतन सिंह]

प्रयोजन भी नहीं है । तथापि सरकार केवल अपनी राजनैतिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए ग्रौर क्योंकि एक गलत नीती पर यह भ्राचरण करने लगी है भौर इसलिए उसको बदलना न चाहती है, इसके सिवाय भ्रौर कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार की कृत्रिम सीमा रेखा को ग्राज भी बनाये रखे। ग्रभी हमारे यहां का कल उत्पादन 9 ग्रीर 10 मिलयिन टन से कभी बढ़ा नहीं है स्रीर यह उत्पादन कोई क्रांतिकारी रूप में अभी एकाध साल में इतना ज्यादा परिवर्ति होने वाला नहीं भी है। हम प्रोक्योरमेंट के द्वारा ग्रब तो दो मिलियन टन या 4 मिलियिन टन से ज्यादा प्रोक्योर कर नहीं सके हैं । इसके सिवाय इस वर्ष तो हमने दस मिलियन टन तो विदेशों से ग्रन्न मंगवाया है। ग्रब जितना हम साल भर में उत्पादन कर सकते हैं उतने का उतना विदेशों से मंगवारहे हैं। जब अन्न की यह स्थिति है तो कोई कारण नहीं कि सरकार इस प्रकार कृतिम सीमा रेखा को बनाये रखे । इसका परिणाम जो हो रहा है केरल श्रीर बंगाल में, वह सब ग्रापके सामने विदित है । एक जगह पर ग्रनाज सढ रहा है, उसको चुहे खा रहें हों ग्रौर उसका भाव गिरता जा र<sub>टा</sub> हो, ग्रौर दूसरी जगह लोग ग्रन्न मांगने के लिए जाते हैं तो उनको गोली श्रीर लाठी मिलती है। यदि कोई कारण होता, प्राकृतिक कारण होता तो लोग बर्दाश्त कर लेते लेकिन यह मन्ष्य के द्वारा बनाये हए कारण, सरकार के द्वारा बनाये हए कारण हैं। सरकार यह कह सकती है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां ग्रपनाते हैं, वह ग्रन्न का कहीं संकट नहीं है, केवल राज-नैतिक पार्टियां हैं जो उस स्थिति से लाभ उठानः चाहती हैं । यह बात उन लोगों के लिए सही भी हो सकती है, लेकिन यदि सरकार स्वयं यह मानती है कि स्रन्न कि स्थिति स्वयं इतनी जटिल नहीं है तो फिर इन कृत्रिम सीमा रेखाओं को बनाने की कोई म्रावश्यकता नहीं थी। ग्रभी पिछले जयपुर के कांग्रेस सैशन के भ्रन्द हमने सुना है कि इस विषय को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ के बरिष्ठ लोगों के बीच में खूब गहरा मतभेद रहा और कांग्रेस का खुद इतना साहस नहीं था कि इस प्रस्ताव को वोट के ऊपर रख ले । लेकिन यह बात ग्रव सर्व— विदित हो चुकी हैं कि यदि इस कृतिम सीमा रेखा को नहीं तोड़ी गई तो स्थिति और भी डांबाडोल हो सकती है । इसके विरोध में कहने के लिए केवल एक कारण बताया जाता है और वह यह है कि क्योंकि हमने एक निर्णय कर लिया है इसलिए उसके प्रोक्योरमेंट में, प्रश्न की वसूली में खतरा पैदा हो जाता है, और दूसरे क्योंकि मझधार में घोड़े को बदलना ठीक नहीं होता इन दो धार्मुमेंट्स के सिवाय तीसरा कोई धार्मुमेंट सरकार की धोर से ग्राता हुग्रा दिखाई नहीं देता ।

जहां तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है, मैं मानता हुं कि यदि एक श्रादमी किसी वस्त का उत्पादन करता है तो उसे पूरा हक है कि उसका कुछ न कुछ जिलनी कम से कम उसकी मजदूरी है, उत्तना तो उसको मिलना ही चाहिए ग्रीर मजदूरी के ऊपर उसका सामान्य लाभांश भी मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उद्योग के क्षेत्र में वह उद्योग पनप नहीं सकता है। कृषि भी एक तरहका उद्याग है स्रौर यदि उसको भ्रन्दर सामान्य लाभांश नहीं मिलता यदि उसकी बाजिब कीमत नहीं मिलती तो नतीजा यह होगा कि वह ग्रन्न उत्पादन के बजाय ऐसी वस्तन्नों के उत्पादन में लग जायगा जिनसे कि उसे ज्यादा फायदा मिल कसता है श्रीर हमारी इन गलत नीतियों के परिणाम-स्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी । क्योंकि ग्राज इस साल सरकार लेवी वसूल कर रही है । ग्रगले साल ग्राप विश्वास करें या न कर, मैं तो यह मानता हू कि ग्रधिकांश किसान लोग ग्रन्न के उत्पादन को छोड़ कर ऐसी वस्त् का उत्पादन करेंगे, जिसकी की लेवी नहीं ली जा रही है, जो प्रोक्योरमेंट द्वारा वसल नहीं की जा रही है या इस प्रकार के जिन्स को पैदा करेंगे जिनसे कि बाजार में ज्यादा सा प्राप्त

कर सकते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि किसान को हम प्रश्न उत्पादन करने के लिए विवश करेंगे तो भी उस का बहुत कुछ प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ेगा। समस्या केवल प्रशासन की नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक भी है। किसान को यदि मनोवैज्ञानिक पृष्टि से सुविधा नहीं मिलेगा और उसे इस बात का विश्वास नहीं दिलाया जायगा कि वह जो कुछ भी मेहनत और मजदूरी पर उसको पर्याप्त लाभ मिलेगा तब तक वह उस प्रश्न को उत्पादन करने से प्रपने प्रापकों कासिर रखेगा।

ऐसी अवस्था में मैं तो यह समझता हूं कि श्रीमान, कि अन्न की वास्तविक कमी नहीं है। यह कमी हमारी सरकार की गलत नीतियों के कारण बनी है। पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष के आकड़ों को देखें तो हमारे अन्नोत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन उसको यह कहा जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए वह कम है। जो कमी है वह केवल कृतिम है।

ब्राज भी जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में ग्रन का भाव है उसका मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दंगा। पंजाब में गेह 52 रु० प्रति किटवंल है जब कि दक्षिण में 160 रुपये स्रौर गजरात में 150 रुपये तथा मध्य प्रदेश में 110 हत्ये भीर 100 हपये तक है। यह इतना जो **ग्रन्तर है भावों में उस ग्रन्तर का एकमात्र** कारण है हमारी सरकार की गलत नीति, उसके द्वारा बनाया हम्रा मोनोपली प्राक्योर-मेंट ग्रीर जोनल सिस्टम । इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और और प्रधिक नहीं बहना चाहता । मैं यह समझता हूं कि सरकार स्वयं इस बात को भ्रच्छी तरह से मानने लगी है कि यह सब इन गलत नीतियों के परिणाम है। ग्रब तो मैं इस प्रस्ताव को केवल इस दिष्टिकोण से सरकार के सामने रख रहा हं कि वह इस पर गहराई से इस दृष्टिकोण से विचार करें कि देश की ग्रन्न की समस्या राजनीति से कहीं प्रधिक ऊपर है और क्योंकि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है, कोई निश्चय कर लिया है, उसको बदलें केंसे, इस प्रतिष्ठा के इस प्रश्न को लेकर खड़े हो गए तो वह इस देश का लाभ नहीं कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को रखता है।

#### Mr. Chairman: Motion moved:

"This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement and all zonal and other barriers to the free movement of foodgrains throughout the country be abolished immediately."

There is one amendment by Shri Limaye. He is not present here.

Shri Warlor (Trichur): Sir, you know the reason why he is not present here now. As this Resolution is going to be discussed during the next day, could you not keep that amendment in abeyance so that he can move it the next day?

Mr. Chairman: I am sorry, I cannot do anything about it. The time allotted is two hours out of which the mover has taken half an hour. Hon. Members should be brief.

Shri Maniyangadan (Kottayam): Mr. Chairman, the mover of the Resolution started by criticising the Government for not taking steps for increasing production of foodgrains. He ended his speech by saying that there is no scarcity in the country and on the other hand, there is increase in production. So, there is this contradiction in his speech. I am not clear as to what he wants by this Resolution. He speaks of removal of monopoly procurement and removal of zonal restrictions.

As regards monopoly procurement, I do not think the Union Government has adopted that policy. They have

## [Shri Maniyangadan]

not imposed the system of monopoly procurement in any part of the country. It is for the States to adopt whichever policy they like, to suit the conditions that prevail in each State. I am told that in Bengal there is monopoly procurement.

I agree that increase in production is a necessity and all steps should be taken in that direction. But when we criticise the Government we have to look into the limitations under which the Government was functioning during the last Plan periods. There were two attacks. one from China and another from Pakistan. There was the shortage of foreign exchange and foreign aid was not forthcoming to the extent we expected. All these have necessarily restricted the activities of the Government in matter of food as well as other articles. Added to all these, there was the unusual drought this year and last It has considerably reduced year. the production of foodgrains. So, am not prepared to blame the government for the situation in which they are placed, because it is due to circumstances beyond their control. We have to see what has to be done in these circumstances.

Admittedly, there is shortage of foodgrains. So, it is the duty of the Government to see that consumption by people is restricted to a certain extent and the available commodity is distributed on an equitable basis, at least to the vulnerable sections of the people, at reasonable prices. That can be done only by the introduction of rationing. I hope the hon. Member the mover of the Resolution, will not deny this.

As I said earlier, due to factors beyond the control of the Government, there is shortage of foodgrains. What is to be done?

One method is to import as much quantity as possible and make up for the deficiency. We know that even that is not possible due to so many factors. There again there is shortage of grains; there is the difficulty of availability from outside. Due to this we are not in a position to import as much as we need and the Government is taking all steps possible to import as much as they could get; but even then there is the shortage. So there is the necessity for restrictions and rationing and controls in the present circumstances.

Regarding the zonal restrictions, I am also not for zonal restrictions; but I would submit that if there is surplus or if there is the necessary quantity of foodgrains, there is no question of zonal restrictions. On the other hand, if there is monopoly procurement, there is no question of zonal restrictions. The possession of foodgrains which ought to go to Government godowns will be an offence. So, there is no question of that.

In the present circumstances we are now facing what I submit is that certain restriction on movement has to be placed so that the vulnerable section is not exploited by people of areas where there is more purchasing capacity. Also, the pattern of use of foodgrains must be taken into consideration. For example, there are certain areas where rice is used and there are certain areas where wheat is preferred. So, such areas should be converted into zones and restrictions on movement from one such zone to another such zone should be imposed. Also, procurement or levy of the surplus must also be adopted by Government.

Now, the policy adopted by Government is to introduce statutory rationing in cities where there is no production but there is purchasing capacity. So cordoning off those cities and towns

like that and also confining the surplue that is left after procuring to that zone and free movement is allowed in that area, there will not be much difficulty and the objective is achieved. I can specifically speak about the South Zone which is now abolished. I would submit that it should be imposed and the restrictions on the various States in the South should be removed. If that could be done, that area where people prefer rice could utilise the surplus. In Kerala, for example, the marketable surplus is said to be 2 lakh tonnes or so. If that is also procured, not much good is going to happen. So, I submit that from a surplus State there should be a levy and a reasonable restriction should be put on movement

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) :
सभापित महोदय, विचाराधीन प्रस्ताव के
प्रस्तावक प्रपना तकं उपस्थित करते हुए
किसी मौलिक नीति, धार्थिक या राजनीतिक
विचारधारा या कार्यक्रम का सुझाव देते के
बदले प्रप्त के उत्पादन में कमी होने के
सम्बन्ध में ही बल देते रहे हैं। उन के प्रस्ताव
के पहले ही भाग में यह है :

from the wheat zone to the rice zone

and from the rice zone to the wheat zone. If this system is adopted, there

will not be much difficulty.

"This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement."

इस शब्दावली और प्रस्ताव के इस हिस्से को ही लेकर हम चलें तो यह मालूम होगा जहां उनका मुझाव है कि गल्ला सरकार द्वारा प्राप्त करने की प्रया को या कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए वहां उस से यह ध्विन निकलती है कि ऐसी सरकार का जो इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है, जनता के प्रति जिम्मेदार है, गल्ला उत्पादन करने वासे के प्रति जिम्मेदार है, मजदूरों और किसानों स्या ग्रन्य सौगों के प्रति जिम्मेदार है उस सरकार का एकाधि— परय या मानोपली हट जाय। उसके ग्राष्टे

काम कैसे ही यह उन्होंने नहीं बतलाया। यदि यह हटा ही दिया जाय यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय, जिस की भाशा नहीं है तो उसका मतलब यह होगा कि देश के जी बड़े रोजगारी ह व्यवसायी हैं. छोटे रोजगारी नहीं, जो गल्ले का रोजगार करते हैं भीर गल्ला कभी कभी दाब कर बैठ जाते हैं भाव तेय करने के लिए तो उनका अधिपत्य होगा गल्ला खरीदने के लिए देश के किसी हिस्से से गल्ला खरीदन के लिए, देश के उन भागों में जहां पर गल्ला कुछ प्रधिक होता है । यह शायद उन को मामलम न हो, यदि मालम भी होगा तो भूल गये होंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां दूसरे प्रदेशों से भी गुल्ला कभी कभी मंगाना पड़ता है, इसरे प्रदेशों को देते भी हैं, कम से कम चीनी तो सारे भारत में उत्तर प्रदेश से पहुंचायी जाती है। उस प्रदेश में ऐसा एक समय ग्राय या-पहली योजना के समय-जब गेहं का भाव 7 रुपये और 8 रुपये मन तक गिर गया था । भ्रगर उस समय सरकार भ्रागे न बाई होती, तो जिन किसानों का नाम ले कर माननीय सदस्य यह चर्चा कर रहे हैं. वे बर्बाद हो गए होते । उस समय सरकार ने ठीक कदम उठाया भीर कुछ महंगे भाव पर गल्ला खरीदना शुरू किया । मोनोपली प्रोक्योरमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम केवल मन्दे भाव पर गल्ला खरीदें। उसका मतलब यह है कि जहां सन्न बहुत मन्दा हो, वहां पर किसानों को मदद देने के लिए, उन के ऊंचे भाव दिलाने के लिए,ऐसे भाव पर गल्ला खरीबा जाये. जिस से उन को राहत मिले और उनको ग्रायिक लाभ हो ।

सरकार देश की केवल सब से बड़ी संस्था हीं नहीं है, सबसे बड़ा संगठन हीं नहीं है, वह राष्ट्र की प्रतिनिधि है, राष्ट्र का शासन चलाने वाली धौर लोगों को रोटी देने के लिए जिम्मे— दार संस्था है । उस के ग्राधिपस्य को समाप्त

# [ श्री विश्वनाय राय ]

हरने क' मलतब कुछ लोगों के हाथों में 45 करोड लोगों का भाग्य सौंप देना है ।

Mr Chairman: The hon, Member may continue his speech on the next day when the Private Members' Re-

solutions will be taken up. The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Monday.

### 18:02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March, 14 1966/Phalguna 23, 1887 (Saka).